कार्यालय, अंचल अधिकारी, बिरनी (गिरिडीह)

ई – मेल : – cobirni.grd@gmail.com

आदेश पत्रक

अभिलेख विविध वाद सं0– 03/19-20

प्रथम पक्ष :– हबीब अंसारी
पिता– रसबली मियाँ,
साकिन– दूधियानो, बिरनी।

द्वितीय पक्षः– मंगर पंडित वगै0
पिता– घनश्याम पंडित वगै0
साकिन– दूधियानो, बिरनी।

आदेश की सं0 एवं तिथि	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई टिप्पणी की तिथि सहित
	अभिलेख उपस्थापित आवेदनकर्ता हबीब अंसारी, पिता– रसबली मियाँ, साकिन– दूधियानो के द्वारा प्राप्त आवेदन में मौजा– दूधियानों थाना नं0– 167 अन्तर्गत खाता सं0– 04 व 16 खेसरा नं0– 34, रकवा– 0.35 ए0 एवं प्लॉट नं0–51, रकवा– 0.50ए0 भूमि की भूमि आवेदक के दादा को जमींदार द्वारा पट्टा प्राप्त है, जिसके द्वारा सरकारी लगान रसीद 1958–59 से 2011–12 तक निर्गत है। उसी प्लॉट पर कुछ अंश भाग में मकान बना हुआ है, बाकी जमीन खाली है। खाली जमीन पर मंगर पंडित वो बंधन पंडित के द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया है, जिसके कारण विवाद हो रहा है। विपक्षी के मंगर पंडित, पिता– घनश्याम पंडित के द्वारा अपने दावे के पक्ष में वासगीत पर्चा (बिहार– विशेषाधिकृत व्यक्ति वासभूमि भूधृति अधिनियम) प्रस्तुत किया गया, जिसपर रैयत का नाम घनश्याम पंडित, पिता– ननकू पंडित, खाता सं0– 04 व 16, प्लॉट नं0– 41 व 34, रकवाक्रमशः 40 डी० व 25 डी० कुल 65 डी० अंकित है, जिसका कागजात की छाया प्रति अभिलेख में संलग्न है। प्रथम पक्ष के द्वारा प्रश्नगत भूमि का अपने दावे के पक्ष में एक सादा हुकुमनामा व वर्ष 1961–62 में निर्गत लगान रसीद जिसमें वसूली वर्ष 1958–59 प्रस्तुत किया गया। वहीं उनके द्वारा कुल पाँच लगान रसीद प्रस्तुत किया गया, जिसका कागजात की छाया प्रति अभिलेख में संलग्न है। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल अमीन के प्रतिवेदन के अनुसार तथा उभय पक्षों से प्राप्त विवादित भूमि का राजस्व कागजात का अवलोकनोपरान्त द्वितीय पक्ष का बासगित पर्चा प्रथम दृष्टया फर्जी प्रतीत होता है। प्रथम पक्ष के द्वारा प्रस्तुत राजस्व कागजात को सत्यता का पुष्टि संबंधित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा की गई है। द्वितीय पक्ष मंगर पंडित, पिता– घनश्याम पंडित, साकिन– दूधियानों का दावा वादगत भूमि पर अवैद्य प्रतीत होता है। प्रथम पक्ष हबीब अंसारी, पिता– रसबली मियाँ, साकिन– दूधियानो का दावा वादगत भूमि पर वैद्य प्रतीत होता है। असंतुष्ट पक्ष इस आदेश विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं। अतः अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है। Digitally signed by SANDEEP KUMAR MADDHESHIYA Date: 2025.01.10 11:47:57 +05:30 Location: 192.168.1.100 10/01/25 अंचल अधिकारी बिरनी	